उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

/2022 तारीखरजू:— 8/3/22

उनवान:— हरवीर बनाम कमलसिंह

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री नन्दराम एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 04.04.2022 तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 169/0.57 ग्राम **विशनपुरा** तहसील टोडाभीम मे आगामी पेशी तक प्रार्थी के 1/2 हिस्से मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ—साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 04.04.2022 को पेश हो।

1498-1500
8/3/2022

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:33:24 IST
Reason: SelfAttested

4/4/22 प्रार्थी वकील उप० | अप्रार्थी नं० 1 की ओर से श्री लखनलाल मीना एड० ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल रहे। अप्रार्थी नं० 3 के नोटिस की तामील बाद पत्र की पत्रावली मे हो चुकी है। पेशकार सरकार उप० | P० साहब कानून व्यवस्था मे करौली पधारे है। वाले

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
19/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं बार आवाज दिलाई नहीं। इसके अप्रार्थी भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी वकील को अदम पैरवी अदम अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बरान से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:33:24 IST
Reason: SelfAttested